



राजस्थान सरकार -  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 5399

क्रमांक: - F.22(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 19/12/2024

(स्वीकृति संख्या : 60 / 2024-25)

विषय :- गम.सी.एच. यूनिट लोहावट, जिला जोधपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में राशि हस्तांतरण की स्वीकृति।

प्रमग :- आईडी संख्या 152402564 दिनांक 12.12.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एम.सी.एच. यूनिट लोहावट, जिला जोधपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01-17 वृहद् निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि रू. 300.00 लाख " (अक्षर राशि रू. तीन सौ लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति एनट्रगर डम शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गाईडलाइन अनुसार तथा तन्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए किया जावे:-

राशि (रुपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	30,00,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	30,00,00,00
	कुल योग	30,00,00,00	कुल योग	30,00,00,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तन्संबन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते में राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तांतरण या अन्य प्रकार में विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152402564 दिनांक 12/12/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signature valid

Digitally signed by  
NISHA MEENA  
Date: 2024.12.19  
15:43:37 +05:30

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - F.22(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 19/12/2024

प्रतिनिधि निम्न वा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 5399

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय, विभाग
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रत्रावली।

(निशा मीना)  
संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 5399

IFMS ID : 5399

परिशिष्ट

क्र. सं.

Ref.  
No.

निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष

राशि (रुपये में)

राशि

4008 - Rajasthan State Health Society

2100 - जयपुर(सचिवालय)

1

46707

4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)

30,00,00,00

Signature valid

Digitally signed by  
NISHA MEEN  
Date: 2024.12.19  
15:43:37 +05:30

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:—योजना / सांख्यिकी / बीएफसी-बजट / 2023-24 / 2024/120 दिनांक:— 03/01/2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, राज0।
6. संयुक्त निदेशक, (योजना) मुख्यालय।
7. उप निदेशक (योजना-निर्माण) मुख्यालय।
8. उप निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों की ई-मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR

Designation: Director

Date :01-01-2025 05:58:19